आदेश :-

अतः अभियुक्त विनोद **कुमार** पुत्र श्री पदमसिहं मालिक मैसर्स हिमानी बैबरेजज,मकान नम्बर 204 कृष्णानगर **भरतपुर** निवासी सोनगांव तहसील व जिला भरतपुर (राज0) को आरोपित अपराध **धारा** 11 सपठित धारा 33 भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 एवं धारा 487,488 **भा0द0**सं0 में दोषसिद्व घोषित किया जाता है।

(संतोष अग्रवाल)
विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
(सी.एस.पी.एन.आई.टी. प्रकरण) भरतपुर

14. सजा के बिन्दु पर सुना **गया** । विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क है कि अभियुक्त का यह प्रथम **अपराध** है, उसके विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि की साक्ष्य प्रलेख पर प्रस्तुत नहीं हुई है **तथा** अभियुक्त वर्ष 2012 से लगातार अन्वीक्षा भुगत रहा है । अतः अभियुक्त के विरूद्ध नरमी का रुख अपनाया जाकर अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया **जावे** । विद्वान् अधिवक्ता परिवादी ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए अभियुक्त **को** उचित दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

मैंने उक्त तर्कों **पर** मनन किया । पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अभियुक्त के द्वारा **बिना** आईएसआई मार्का के बडी मात्रा में इसका प्रयोग पानी के पाउचो पर किया जा रहा है जों कि जन स्वास्थ्य के लिए घातक परिणाम पैदा कर सकता हैऐसी स्थिति में अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना सामाजिक हित में न्यायोचित प्रतीत नही होता है, तथा अभियुक्त को कारावास के दंण्ड से दंण्डित किया जाना न्यायोचित समझता हूं ।

:: द ण डा दे श ::

परिणामस्वरूप अभियुक्त 1–विनोद कुमार पुत्र श्री पदमसिहं मालिक मैसर्स हिमानी बैबरेजज,मकान नम्बर 204 कृष्णानगर भरतपुर निवासी सोनगांव तहसील व जिला भरतपुर (राज0) को अपराध अन्तर्गत धारा 11/33 भारतीय मानक ब्यूरों अधिनियम 1986 की दोषसिद्धी पर एक वर्ष के साधारण कारावास व 10000 (अक्षरे दस हजार रूपए) के अर्थ दंण्ड से दंण्डित किया जाता है अदम अदायगी अर्थ दंण्ड अभियुक्त एक माह का साधारण कारावास और भुगतेंगा । अभियुक्त को धारा 487 भा0द0स के अपराध की दोषसिद्धि पर एक वर्ष के साधारण कारावास व 5000 (अक्षरे पांच हजार रूपए) के अर्थ दंण्ड से दंण्डित किया जाता है अदम अदायगी अर्थ दण्ड अभियुक्त दस दिवस का साधारण कारावास और भुगतेगा धारा

488 भा0द0स के अपराध की **दोषसिद्धि पर** एक वर्ष के साधारण कारावास व 5000 (अक्षरे पांच हजार रूपए) के अर्थ **दंण्ड** से दंण्डित किया जाता है अदम अदायगी अर्थ दंण्ड अभियुक्त दस दिवस का **साधारण** कारावास और भुगतेगा । इस प्रकरण में अभियुक्त द्वारा पुलिस अभिरक्षा व **न्यायिक** अभिरक्षा में भुगती हुई सजा को समायोजित किया जावेगा । सजा वारंण्ट **बनाया** जावे ।

(संतोष अग्रवाल)
विशिष्ठ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
(पी.सी.पी.एन.डी.टी. प्रकरण) [illegible]

निर्णय आज दिनांक 09.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।

9.1.17

(संतोष अग्रवाल)
विशिष्ठ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
(पी.सी.पी.एन.डी.टी. प्रकरण) [illegible]